

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 139/2024 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

सुरेश प्रसाद वगैरह ----- प्रथम पक्ष

बनाम्

मोहन विश्वकर्मा वगैरह ----- द्वितीय पक्ष

आदेश

06-11-24

आवेदक सुरेश प्रसाद वगैरह के आवेदन पर संतुष्ट होकर निम्नलिखित विवरण वाले भूमि पर दिनांक 10.09.2024 को भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा प्रवृत्त किया गया तथा उभय पक्ष को उक्त जमीन पर जाने अथवा कोई कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया :-

मौजा- बगोदर, थाना- बगोदर, जिला- गिरिडीह

खाता नं0- 296, प्लॉट नं0- 102, रकबा- 11.25 डी0

चौहद्दी : उ0- प्लॉट नं0 103

द0- प्लॉट नं0 101

पू0- सरिया रोड़

प0- प्लॉट नं0 100

नोटिस निर्गत कर उभय पक्ष से कारण पृच्छा भी की गई।

उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए। प्रथम पक्ष के द्वारा पूर्व में दाखिल आवेदन के अतिरिक्त कारण पृच्छा भी दाखिल किया गया। द्वितीय पक्ष के द्वारा समय की मांग की गई परन्तु कारण पृच्छा दाखिल नहीं किया गया। अंचल अधिकारी बगोदर से प्रतिवेदन मांगा गया जो कि अप्राप्त रहा। प्रथम पक्ष ने अपने आवेदन में कहा है कि वे गायत्री परिवार के सदस्य हैं तथा उक्त भूमि उन्हें 29.04.1975 को केवाला द्वारा प्राप्त है। द्वितीय पक्ष उक्त जमीन पर जबरन कार्य कर कब्जा करना चाह रहे हैं जिस कारण विवाद उत्पन्न हुआ है। प्रथम पक्ष दो निबंधित केवाला तथा पूर्व में अंचल अधिकारी बगोदर को दिए आवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हैं।

चूँकि प्रस्तुत वाद में अंचल अधिकारी बगोदर जिनका विस्तृत जाँच प्रतिवेदन अग्रेत्तर निर्णयन हेतु आवश्यक है, अनुपलब्ध है तथा द्वितीय पक्ष के द्वारा समय की मांग करने के उपरान्त भी अपना पक्ष नहीं रखे जाने की वजह से उनके दावे की जाँच संभव नहीं हो पाई अतः भा0ना0सु0सं0 धारा 163 में सीमित समयावधि के तहत कोई निर्णय कर पाना संभव नहीं है।

साथ ही उक्त वाद के अग्रेत्तर गहन एवं सुक्ष्म विश्लेषण हेतु उपरोक्त अप्राप्त प्रतिवेदन / साक्ष्य इत्यादि की आवश्यकता है अतः प्रस्तुत वाद को भा0ना0सु0सं0 की धारा 164 में परिवर्तित किया जाता है। उक्त आदेश के साथ भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है।

भा0ना0सु0सं0 की धारा 164 के तहत उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

अगली तिथि 21-1-25 को अभिलेख रखें।

लेखापित एवं संशोधित


06-11-24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया


06-11-24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया